

फर्द अहकाम
(नियम-13)

(General rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 94)

अदालत :- उपखण्ड अधिकारी

मुकाम :- तालेड़ा



प्र.स. / दावा / प्रा0पत्र / 61/2024

बचनवान रामबाबू कीर बनाम राजस्थान सरकार

मुकदमा:- प्रार्थना पत्र

प्रा0पत्र. 2024/41

अन्तर्गत धारा:- 136 LR Act

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|--|
| ७/३/२५ | <p>पत्रावली पेश हुई। रामबाबू कीर निवासी ग्राम तीरथ के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार तालेड़ा द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट क्रमांक भू0अ0/23/7704 दिनांक 08.12.2023 स्वीकार की जाती है। प्रकरण दर्ज रजिस्ट्र किया जावे। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।</p> <p> सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या.....०!.....</p> <p> अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या.....०!..... सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट तालेड़ा (बून्दी)</p> | |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी

राष्ट्रीय लोक अदालत मार्च 2024

प्रकरण संख्या:- 61 / प्रा0पत्र / 24

दायरा दिनांक:- 09/03/2024

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|-------------|------|-----------|
| रामबाबू कीर | | सरकार |

प्रार्थना पत्र बाबत
नाम शुद्धिकरण
(अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.)

--:: निर्णय ::--


दिनांक:-


रामबाबू कीर नि0 ग्राम तीरथ तहसील तालेडा के जमावन्दी मे नाम शुद्धीकरण के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध मे तहसीलदार तालेडा द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0/23/7704 दिनांक 08.12.2023 से ग्राम तीरथ पटवार हल्का तीरथ तहसील तालेडा के खाता संख्या नया 469 (सम्बत् 2076) मे अंकित खाताधारक बाबूलाल पुत्र भमोल्या का सही नाम बाबू के स्थान पर रामबाबू दर्ज किये जाने की अभिशंषा की जाकर रिपोर्ट प्रेषित की गई है।

तहसीलदार रिपोर्ट के साथ पटवारी हल्का तीरथ व भू0अभिलेख निरीक्षक वृत्त देहित की रिपोर्ट एवं ग्राम तीरथ पटवार हल्का तीरथ की जमावन्दी सम्बत् 2076 के खाता संख्या 469 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमे खाताधारक बाबूलाल पुत्र भमोल्या हिरसा 1/9 जाति कीर सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/9(पूर्ण खाता) बून्दी वित्तौडगढ़ क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा तीरथ मु.वि.क. दर्ज है। मौका पर्चा रिपोर्ट अन्तर्गत पटवारी हल्का द्वारा अवगत कराया गया है कि मौके पर मौजूद ग्रामवासियो ने बताया कि बाबू पुत्र भमोल्या व रामबाबू पुत्र भमोल्या एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी के द्वारा संलग्न दस्जावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र की प्रति मे भी प्रार्थी का नाम रामबाबू पुत्र भमोल्या दर्ज है। उपरोक्तानुसार जमावन्दी मे खाता संख्या 469 अन्तर्गत प्रार्थी का नाम बाबू के स्थान पर रामबाबू किये जाने की अनुशंषा की गई है।

तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट को प्रार्थना पत्र के रूप मे दर्ज करते हुए तहसीलदार से प्राप्त अनुशंषा विवरण एवं मौका पर्चा रिपोर्ट के आधार पर ग्राम तीरथ पटवार हल्का तीरथ के खाता संख्या 469 अंकित खातेदार बाबूलाल पुत्र भमोल्या हिरसा 1/9 जाति कीर सा0 देह का नाम बाबूलाल के स्थान पर बाबूलाल उर्फ रामबाबू दर्ज किये जाने के आदेश अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट 1956 मे प्रदत्त शक्तियों के तहत एतद्वारा दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 9/3/24 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सरे आम इजलास मे सुनाया गया।


सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैच संख्या....01.....


अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैच संख्या....01.....
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक
मजिस्ट्रेट तालेडा (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी, तालेडा